

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 337/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना-फूलपुर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 06-05-2025 को वादिनी मुकदमा थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ द्वारा दिया गया कि दिनांक 05-05-2025 को विपक्षी जयहिन्द गौड पुत्र पप्पू गौड सा0 युसुफपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ के द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र लगभग 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम जयहिन्द गौड पुत्र पप्पू उर्फ ओमप्रकाश ग्राम यूसुफपुर खानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 दयानन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौरान विवेचना पीडिता के धारा 182 बीएनएस के बयान के आधार पर धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

उ0नि0 अनुराग पाण्डेय मय हमराह के वांछित अभि0 जयहिन्द गौड पुत्र पप्पू उर्फ ओमप्रकाश ग्राम यूसुफपुर खानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को सिकरौर बाजार से दिनांक 14-09-2025 को समय करीब 10-50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-227/25 धारा 137(2) /87/64 बीएनएस 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-जयहिन्द गौड पुत्र पप्पू उर्फ ओमप्रकाश ग्राम यूसुफपुर खानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1-उ0नि0 अनुराग पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- का0 शिवराम सरोज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना- बरदह: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 12.09.25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 11-09-2025 को सुबह 4.0 बजे मेरी बहन जिसकी उम्र 17 वर्ष को गौरव पुत्र राजेश निवासी सेन्दुरी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 137(2)87 बीएनएस बनाम गौरव उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 14.09.25 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गौरव पुत्र राजेश निवासी सेन्दुरी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को दुलारगंज बाजार से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-गौरव पुत्र राजेश निवासी सेन्दुरी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 274/2025 धारा 137(2)87 बीएनएस थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़

2. का0 भुपेन्द्र नाथ मिश्रा थाना बरदह, आजमगढ़



03.थाना मुबारकपुर: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 13.08.2025 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी मुकदमा की पुत्री के सौगन्ध चौहान शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया। शादी करने के लिए कहने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इन्कार करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 406/2025 धारा 69,352,351(3) BNS बनाम सौगन्ध चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम नरांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 राघवराम यादव थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ द्वारा की जा रही है, विवेचना से पीड़िता के नाबालिग होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 14.09.2025 को उ0नि0 राघव राम यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सौगन्ध चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम नरांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को समय 11.40 बजे सईदनगर मोड़ से हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-सौगन्ध चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम नरांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 406/2025 धारा 69,352,351(3) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1-उ0नि0 श्री राघव राम यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़



04.थाना- कोतवाली: जमीन बेचने के नाम पर 05 लाख रूपयें की धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

प्रार्थी के पूर्व परिचित घरेलू सम्बन्ध रखने मो हसन रजा रिजवी सैय्यद पुत्र रिजवी सैय्यद जफर रजा का प्रार्थी के आजमगढ़ आवास पर आना जाना था और प्रार्थी भी व्यवसाय के सीलसीले में लखनऊ व दिल्ली आना जाना होता है। जिसके कारण हसन रजा रिजवी से हमारे सम्बन्ध थे। उसी सम्बन्ध के कारण हसन रजा रिजवी दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थी के मुहल्ला सीताराम थाना कोतवाली शहर स्थित आवास पर आये और हम प्रार्थी को लखनऊ स्थित कीमती जमीन से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अब्बस सैय्यद जुल्फिकार मुत्र स्व सैय्यद अली अकबर (66वर्ष) 15, हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर कोलकता 16 बेस्ट बंगाल के निवासी है जो वर्तमान में दुबई रहते हैं ने हमको अपनी कामर्शियल प्रापर्टी वियरिंग प्लाट नं एच-1/काम-8 मेजरिंग 2590 स्क्वायर मीटर आम्रपाली योजना 30 प्र0 उक्त जमीन को हमे पावर आफ अटार्नी नियुक्त कर दिये है। जिससे उक्त जमीन से सम्बन्धित समस्त कार्य क्रय विक्रय तक करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त जमीन की कीमत 9.92.94000/-है। जिसे आपको विक्रय कर सकता हूँ। प्रार्थी उनकी बातों पर विश्वास कर क्रय करने को तैयार हो गया और बयाना के तौर पर मु0 500000/- अपने उक्त आवास मुहल्ला सीता राम में स्थित आवास पर दो गवाहान के समक्ष दे दिया और यह तय किया गया कि तीन महिने में शेष धनराशि मु0- 9,87,94000/- अदा करके रजिस्ट्री स्वय के नाम करवा लेगे। लगभग 02 माह व्यतीत होने के पश्चात प्रार्थी मो हसन रजा रिजवी से कहा कि धनराशि की व्यवस्था कर चुका हूँ आप उक्त जमीन को मेरे नाम रजिस्ट्री कर दीजिए। जिस पर हसन रजा द्वारा रजिस्ट्री करने की बात पर टाल मटोल किया जाने लगा, निर्धारित समयावधि तीन माह व्यतीत होने जाने के पश्चात भी हसन रजा द्वारा प्रार्थी से कोई सम्पर्क नहीं साधा गया। हसन राजा के आचरण पर शक होने पर प्रार्थी ने अब्बास सैय्यद जुल्फेकार से सम्पर्क किया तो उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा उक्त जमीन का कोई भी पावर आफ अटार्नी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है और न ही उक्त जमीन हमको विक्रय करनी है। हसन रजा द्वारा मुल्यवान भूमि की पूर्ण रूपेण कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कर बेईमानी एवं छल करने की नियत से अत्यधिक बेसकीमती जमीन को हडपना चाहते थे, जिसकी आड़ में हसन रजा द्वारा हम प्रार्थी का मु0-500000 रूपये हडप लिया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्पर्क कर उक्त धनराशि मु0-500000/- की मांग किये जाने पर धनराशि देने से इन्कार करने के साथ-साथ प्रार्थी को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। अभियुक्त हसन रजा द्वारा मुल्यवान एवं कीमती भूमि का सीले से कूट रचित दस्तावेज तैयार छल एवं बेइमानी जैसा अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओ एफ0आई0आर0 पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 440/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सैय्यद हसन रजा रिजी पिता का नाम मो0 हसन रजा रिजवी सैय्यद पुत्र रिजवी सैय्यद जफर रजा निवासी फ्लैट नं0 501 आलिया कालोनी शीश महल हुसैनाबाद लखनऊ थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 48 वर्ष को दिनांक 13.9.25 को समय 14.20 बजे हाफिजपुर चठौली रोड के किनारे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मो0 हसन रजा रिजवी सैय्यद पुत्र रिजवी सैय्यद जफर रजा निवासी फ्लैट नं0 501 आलिया कालोनी शीश महल हुसैनाबाद लखनऊ थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 48 वर्ष

पंजीकृतअभियोग-

1-मु0अ0सं0 440/2025 धारा 316(2)/ 319(2)/ 318(4)/ 338/ 336(3)/ 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह मय हमराह हे0का0 पंकज कुमार सिंह व का0 विवेक शर्मा कोतवाली आजमगढ़



05. थाना जहानागंज: 07 वारण्टी गिरफ्तार ।

1. उ0नि0 श्री लालबहादुर, उ0नि0 हेमन्त कुमार यादव मय हमराह कर्मचारीगण के थाना हाजा से प्रस्थान कर वारण्टी के आधार पर दविश दिया गया वारण्टी गण घर पर मौजूद पाये गये गिरफ्तार किया गया । उक्त अभि0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा मु0नं0-1731/24 व अ0सं0 551/10 धारा-3/5ए/8 गो0 नि0 अधि0 में एनबीडब्लू वारन्ट 1.सेचन चौहान 2. सतई चौहान का जारी किया गया है । अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर 08.35 बजे समय पर हिरासत पुलिस मे लिया गया
2. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह कर्मचारी के थाना हाजा से प्रस्थान कर वारण्टी के आधार पर दविश दिया गया। वारण्टी गण घर पर मौजूद पाये गये गिरफ्तार किया गया । अभि0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा मु0नं0-2014/24 व अ0सं0 56/22 धारा-308/323/352/504/506 भादवि में एनबीडब्लू वारन्ट 1. अमन 2. रोशन का जारी किया गया है । अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर 08.55 बजे समय पर हिरासत पुलिस मे लिया गया।
3. उ0नि0 सुल्तान सिंह, उ0नि0 शिवम त्यागी मय हमराह कर्मचारीगण के थाना हाजा से प्रस्थान कर वारण्टी के दविश दिया गया। अभि0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा मु0नं0-1132/24 व अ0सं0 492/22 धारा 323/504/506/34 भादवि में एनबीडब्लू वारन्ट 1.श्रीलाल 2. लालधर का जारी किया गया है । अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर 08.45 बजे समय पर हिरासत पुलिस मे लिया गया।
4. उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर वारण्टी के आधार पर दविश दिया गया उक्त वारण्टी घर पर मौजूद पाये गये गिरफ्तार किया गया । उक्त अभि0 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा मु0नं0-1667/24 व अ0सं0 721/10 धारा-325/323/504/506 भादवि में एनबीडब्लू वारन्ट 1.बबलू उर्फ विजय यादव का जारी किया गया है । अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर 09.05 बजे समय पर हिरासत पुलिस मे लिया गया।

विवरण वारन्टी गण-

- 1.श्रीलाल पुत्र रघुनाथ उम्र करीब 58 वर्ष
2. लालधर पुत्र स्व0 मुरली उम्र करीब 60 वर्ष नि0गण बिरदईया खालसा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 3.सेचन चौहान पुत्र मुराली चौहान उम्र करीब 55 वर्ष 4. सतई चौहान पुत्र भोगी चौहान उम्र करीब 60 वर्ष नि0गण जिगरसण्डी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 5.अमन पुत्र रामअवध उम्र करीब 23 वर्ष
6. रोशन पुत्र रामअवध उम्र करीब 30 वर्ष नि0गण अफजलपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
- 7.बबलू उर्फ विजय यादव पुत्र रामशब्द यादव उम्र करीब 28 वर्ष नि0 कुसरना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

को हे0का0 जलील अली व का0 आलोक कुमार व हे0का0 प्रेमशंकर चौहान व का0 लक्ष्मीनरायन चौधरी व का0 राजकुमार गुप्ता व का0 श्रीप्रकाश सिंह व का0 सोनु प्रताप गोड़ व हो0गा0 तेजप्रताप यादव व हो0गा0 जयनरायन व हो0गा0 केदार राम पीआरडी रमाशंकर सिंह व पीआरडी कृष्ण कुमार पाठक व पीआरडी रमानन्द राजभर को सुपुर्द कर व समस्त कागजात देकर हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक के हिदायत किया गया कि श्रीमान रिमाण्ड मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के समक्ष पेशी से पूर्व मेडिकल परीक्षण कराकर ही पेश करेगे , पेश करने हेतु खाना किया गया ।

